कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र. मु.अ.(मा.संसा.एवं प्रशा.)/उ.स.दो/ 2606 जबलपुर, दिनांक 28 JUN 2018

आदेश

म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कं.लि. के आदेश क्र. का.नि.(मा.सं.एवं प्रशा.)/ म.प्र.पॉ. ज. कं.लि./उ.स.-एक/2568, जबलपुर दिनांक 10.07.2017 तथा आदेश क्र. मु.अ.(मा. संसा.एवं प्रशा.)/वे.पुन./4974 जबलपुर, दिनांक 29.12.2017 की कंडिका 15 के तारतम्य में सभी म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को छठवें वेतनमान के अनुसार 136% एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 4% की दर से महंगाई राहत देय है । म.प्र. शासन के ज्ञाप. क्रमांक एफ 9-6/2017/नियम/चार दिनांक 04 जून, 2018 के अनुक्रम में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई 2017 से निम्नानुसार दर से महंगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	महंगाई राहत की दर प्रतिमाह
छटवें वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 139% (3% की वृद्धि)
सातवें वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 5% (1% की वृद्धि)

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी ।

2. इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि का भुगतान माह जून 2018 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह जुलाई 2017 से मई 2018 की अवधि की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान एकमुश्त माह जून 2018 की देय पेंशन के साथ किया जावेगा।

3. उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannation), सेवानिवृत्त (Retiring) असमर्थता (invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Comensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये कये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग, म.प्र.शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 05.10.76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भागी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हैं, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रताहोगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभागके ज्ञापन क्र. एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27.07.76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नियम-2/चार, दिनांक 02.05.77 एवं ज्ञापन क्र. एफ 12-5/2007/नियम/चार दिनांक 19 अप्रैल 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

क्रमशः..2..

4. महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

5. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी ।

आदेशानुसार

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.जबलपुर

क्र: मु.अ..(मा.सं.एवं प्र.)/उ.स.दो/ 2607 जबलपुर, दि. 28 JUN 2018

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि./म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
3. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर ।
4. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.'उत्पा.)/(अभियांत्रिकी)/ (कार्पोरेट सर्विसेस)/(परियोजना उत्पादन)/(ईंधन प्रबंधन)/(सिविल अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण) / (सामग्री प्रबंधन)/(संचा.संधा.-जल विद्युत), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि.जबलपुर ।
5. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना,/संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी ।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर ।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार), टोंस हायडल काम्पलेक्स, म.प्र.पॉवर जन.क.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
9. अधीक्षण अभियंता (सिविल) जल वि.संधा. एवं सर्वे एवं अन्वे, म.प्र.पॉ. जन. कं.लि. जबलपुर।
10. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/बाणसागर-दो/तीन/चार, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/ बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना, ।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस), म.प्र.पॉ;जन.कं.लि. जबलपुर ।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, श्री सिंगाजी ता.वि.परि./ संगांताविगृह/ अताविगृह/सताविगृह/टीएचसी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/सिरमौर ।
13. स्टाफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
14. आदेश नस्ती ।

(एस.के. देशपांडे)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता
कार्या.मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.जबलपुर